

12.10.20

पत्रावली पेशा वकील डिप्टी टाट उपा. व  
पानना रिपोर्ट जात/ भा. का. ह/ उपा. व  
म अग्रिम कार्यावली अपेक्षित नही है  
से फावली कलम सुमाट लेका दालिका  
दहेव ही

  
उपा. व अधिकारी  
सामगंजमण्डी

उपा. व अधिकारी  
सामगंजमण्डी

राज्य सरकार अधिकाारी रामगंजमंडी जिला कोटा

कार्य क्रमांक  
05/2019

तारीख दायरा  
01.02.2019

तारीख फैसला  
26.09.2019



अधीकारि :- धिमनलाल मीणा ( आर0ए0एरस0 )

उनवान :-

मेशर्त नजल स्टोन चाईन्स प्लाट नम्बर -8 विनायक विहार आकाशवाणी कोटा जर्ये  
नम्बर ऑफ अटार्नी नियाज अहमद बल्द अशफाक अहमद जाति मुसलमान निवासी  
प्लाट नम्बर -8 विनायक विहार आकाशवाणी कोटा , जिला कोटा राज0

प्रार्थी/वादी

बनाम :-

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमंडी जिला कोटा

प्रतिपक्षा/प्रतिवादी

प्रार्थना -पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एरस0

वाक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अधीकारि

मी डीरल कानून मुक्ता :- वकील प्रार्थी/वादी

- (1) क्र० सं० 338
- (2) आवेदन तिथि 10/10/19
- (3) प्रतिलिपि तैयार करने की तिथि 10/10/19
- (4) प्रतिलिपि देने की तिथि 30/10/19
- (5) शब्दों की संख्या 8 थार 8 पृष्ठ
- (6) प्रतिलिपि शुल्क 11/-
- (7) इस्ताफर

निर्णय :-

प्रार्थी द्वारा एकप्रार्थना पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान  
भूराजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ,

1. यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील  
रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 1026 नया 78 पुराना खसरा नम्बर 3315 3316  
की रकबा 1.05 हैक्टर स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त चला आ रहा  
है।
2. यह कि सटलमेन्ट पूर्व उक्त भूमि के खसरा नम्बर 2560 की रकबा 6 बीघा 10  
विस्वा थे। हाल ही मे किये गये भूमि बंदोबस्त से पूर्व प्रार्थी क खात की  
आराजी उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम जुल्मी में बारासी



Handwritten signature and date: 26/10/19

तय - प्रतिलिपि  
राजस्थान सरकार

प्रथम असिंचित भूमि दर्ज रही है। इस सम्बन्ध में राजस्व अभिलेख जमाबन्दी जुल्मी सम्वत् 2057 से 60 की नकले प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है एवं गिरदावरी सम्वत् 2071 से 74 तक सलग्न है जिसमें उक्त भूमि पडत दर्शायी हुई है, पडी हुई है। उपरोक्त भूमि गत कई वर्षों से पडत पडी हुई है जिसमें गत कई वर्षों से कोई कृषि कार्य नहीं हो रहा है किन्तु हाल ही में भू प्रबन्ध के दौरान उपरोक्त भूमि को नये राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम जुल्मी सम्वत् 2057 से 60 में भू प्रबन्धक कर्मचारियों द्वारा त्रुटी पूर्वक गैर मुमकिन चाह व चाही तृतीय दर्ज कर दिया है एवं भूमि के कायम किये गये खसरा नम्बर में से त्रुटी पूर्ण तरीके से खसरा नम्बरान् 3315 की रकबा 0.0100 व खसरा नम्बर 316 की 1.0400 हैक्टर में गैर मुमकिन चाह व चाही तृतीय दर्ज कर दिया है जबकि उक्त भूमि पर मौके पर प्रारम्भ से कोई चाह नहीं बना हुआ ही नहीं है एवं इनके पास कोई नदी नाला भी नहीं है फिर भी भू प्रबन्ध कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अवैध रूप से चाही तृतीय सिंचित व गैर मुमकिन चाह भूमि दर्ज कर दिया है व भूमि के नये राजस्व नक्शे में त्रुटी से चाह का अंकन कर दिया है जो पूर्ण रूप से अवैध है। क्योंकि भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा भूमि के मौका निरीक्षण किये बिना ही भूमि के सम्बन्ध में त्रुटी पूर्ण इन्द्राज कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानियों का सामना करना पडरहा है। इस कारण उक्त त्रुटी दुरुस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी ग्राम जुल्मी व राजस्व नक्शा को उपरोक्त परिस्थितियों में प्रार्थी के लिये दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

3. यह कि उक्त सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक-6.04.2018 में पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा देखा गया जिस पर उक्त भूमि उबड खाबड व पडत है तथा वर्तमान में कोई कुआँ स्थित नहीं है उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है।
4. यह कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दाराने भू प्रबन्ध अभिलेख में की गयी त्रुटी की जानकारी प्रार्थी द्वारा नकल प्राप्त होने पर हुई है। नकल प्राप्त होने पर प्रार्थी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है।
5. यह कि विवादित भूमि ग्राम जुल्मी में स्थित होने से उक्त भूमि के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

तय - प्रतिलिपि

भू प्रबन्ध अधिकारी  
जुल्मी

26/04/19

6. यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 1026 नया, 78 पुराना, खसरा नम्बर 3315, 3316 की रकबा 1.0500 हेक्टर स्थित से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मौके की स्थिति के अनुसार दुरुस्त कर बारानी प्रथम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिपक्षी द्वारा जरिये पैरोकार सरकार जवाब प्रस्तुत किया कि,

1. मुताबिक जमाबन्दी ग्राम जुल्मी खसरा नम्बर 3315 3316 खातेदार मैसर्स गजल स्टोन माईन्स प्लाट नम्बर -6 विनायक विहार आकाशवाणी कोटा के नाम पर दर्ज है। प्रार्थी मोके पर काबिज है। काश्त नहीं है भूमि मौके पर पड़त है।
2. मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 3315 रकबा 0.01 हेक्टर व 3316 रकबा 1.04 गत खसरा नम्बर 2560 मिन रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा से बने में कोई चाह नहीं है। भूमि पड़त है शेष प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।
3. प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें।
4. अस्वीकार है, चूंकि सेटलमेंट सक्रियाओं के दौरान विभाग द्वारा प्रत्येक खातेदार/गैर खातेदार को भूप्रबंध विभाग द्वारा पट्टा वितरण किया जाता है जिसमें खातेदार के गत खसरा नम्बर व नवीन खसरा नम्बर व किस्म एवं लगान का पूर्ण विवरण होता है एवं खातेदार/गैर खातेदार से अंकित सूचनाओं के संबंध में आपत्ति मॉगी जाती है।

अप्रार्थी/प्रतिपक्षी का जवाब प्रस्तुत होने पर प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में परिवर्तित करने की कृपा

MN 8/2019

Page 3

तत्प - प्रातालाप

रप लष्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी



करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार रामगंजमण्डी को उक्त भूमि पर 500/- पाँच सौ रुपये मोका कमिश्नर फीस पर मोका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मोका कमिश्नर रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपने पत्रांक भू0अभि दिनांक 31.05.2019 से मोका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अंकित किया गया कि,

1. हाल बन्दोबस्त में खसरा नम्बर 3315, रकबा 0.01 है0व 3316 रकबा 1.04 खातेदार देवा पुत्र मगना जाति गूजर सा0 देह के नाम दर्ज है। नकल संलग्न है।
2. वर्तमान जमाबन्दी सं0 2074-77 खाता नम्बर 1026 में उक्त खसरा नम्बर मैसर्स गजल स्टौन माईन्स प्लाट नम्बर -6 विनायक विहार आकाशवाणी कोटाके नाम पर दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न है।
3. मोके पर खसरा नम्बर 3316 पर कोई फसल नहीं है। वर्षों से पड़त हुआ है। आधे हिस्से पर पत्थर का टीला पड़ा हुआ है। मोके पर वर्तमान में खसरा नम्बर 3315 का कोई चाह/कुआ नहीं है।
4. गत सैटलमेंट का रिकार्ड इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

पक्षकारान् को अपने अपने साक्ष्यादि प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये। दौराने साक्ष्य प्रार्थी/वादी द्वारा

1. नकल जमाबन्दी ग्राम जुल्मी संवत् 2074-77 खाता नम्बर 1026 प्रदर्श-1
2. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी संवत् 2071-74 खसरा नम्बर 3315, 3316 प्रदर्श-2
3. छायाप्रति मुख्तारनामा आम द्वारा श्रीमती खुशनुमा वगैरह बहक प्रार्थी प्रदर्श-3 ए
4. नकल जमाबन्दी ग्राम जुल्मी संवत् 2054-57 खाता नम्बर 310 प्रदर्श-4
5. छायाप्रति नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम जुल्मी 2004-24 प्रदर्श-4 ए
6. छायाप्रति नकल जमाबन्दी भू0प्रबंध 2004-24 खाता नम्बर 322
7. छायाप्रति नकल जमाबन्दी भू0प्रबंध 2004-24 खाता नम्बर 318 से 322
8. शपथपत्र साक्ष्य वादी/प्रार्थी प्रदर्श पी0डब्ल्यू-1

प्रकरण की विषयवस्तु पर प्रकरण के संबंधित तथ्य प्रकटीकरण हेतु निम्न दस्तावेज प्रस्तुत अवलोकन मँगवाये जाकर शामिल मिसल किये गये। उक्त दस्तावेजात पत्रावली के संख्या/86 से 50 पर शामिल पत्रावली किये गये।

N 8/2019



सत्य - प्रतालाप

एच लखड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

Page 4

1. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी खरीफ 2075 खसरा नम्बर 3315 व 3316
2. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी रबी 2075 खसरा नम्बर 3315 व 3316
3. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी खरीफ 2075 खसरा नम्बर 3044 व 3045
4. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी रबी 2075 खसरा नम्बर 3044 व 3045
5. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी खरीफ 2067-70 खसरा नम्बर 3044 व 3045
6. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2067-70 खसरा नम्बर 3315 व 3316
7. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2071-74 खसरा नम्बर 3044 व 3045
8. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2071-74 खसरा नम्बर 3315 व 3316
9. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2024-27 खसरा नम्बर 2560
10. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2037-40 खसरा नम्बर 2560
11. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2028-31 खसरा नम्बर 2560
12. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2033-36 खसरा नम्बर 2560
13. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2041-44 खसरा नम्बर 2560
14. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2045-48 खसरा नम्बर 2560
15. नकल खसरा गिरदावरी ग्राम जुल्मी 2057-60 खसरा नम्बर 2560

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी सुनी गई। वकील वादी/प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। लिखित बहस में वादी वकील द्वारा अंकित किया गया कि,

यह कि प्रार्थी के कब्जे काशत की भूमि वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 1026 नया, 78 पुराना, खसरा नम्बर 3315, 3316 की रकबा 1.0500 हैक्टर स्थित है। जिस पर प्रार्थी काबिज काशत करता चला आ रहा है।

यह कि सेटलमेन्ट पूर्व उक्त भूमि के खसरा नम्बर 2560 की रकबा 6 बीघा 10 बिस्वां थे। हाल ही मे किये गये भूमि बदोबरस्त से पूर्व प्रार्थी के खाते की आराजी उपरोक्त वर्णित भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम जुल्मी के ग्राम बारानी प्रथम असिंचित भूमि दर्ज रही है। इस सम्बन्ध मे राजस्व अभिलेख जमाबन्दी जुल्मी सम्वत् 2057 से 60 की नकले प्रार्थना पत्र के साथ सलग्न है एवं गिरदावरी सम्वत् 2071 से 74 तक सलग्न है जिसमे उक्त भूमि पडत दर्शायी हुई है, पडी हुई है। उपरोक्त भूमि गत कई वर्षो से पडत पडी हुई है जिसमे गत कई वर्षो से कोई कृषि कार्य नही हो रहा है किन्तु हाल ही मे भू प्रबन्ध के दौरान उपरोक्त भूमि को नये राजस्व अभिलेख जमाबन्दी ग्राम जुल्मी सम्वत् 2057 से 60 मे भू प्रबन्धक कर्मचारियो द्वारा त्रुटीपूर्वक गैर मुमकिन चाह व चाही तृतीय दर्ज कर

MN 8/2019

सत्य - प्रतिलिपि

राजस्व अधिकारी  
रामगंजमण्डी

Page 5

दिया है एवं भूमि के कायम किये गये खसरा नम्बर मे से त्रुटी पूर्ण तरीके से खसरा नम्बरान् 3015 की रकबा 0.0100 व खसरा नम्बर 3316 की 1.0400 हैक्टर मे गैर मुमकिन चाह व चाह तृतीय दर्ज कर दिया है जबकि उक्त भूमि पर मौके पर प्रारम्भ से कोई चाह नहीं बना हुआ ही नहीं है एवं इनके पास कोई नदी नाला भी नहीं है फिर भी भू प्रबन्ध कर्मचारियो एवं अधिकारियो ने अवैध रूप से चाही तृतीय सिंचित व गैर मुमकिन चाह भूमि दर्ज कर दिया है व भूमि के नये राजस्व नक्शे मे त्रुटी से चाह का अंकन कर दिया है जो पूर्ण रूप से अवैध है। क्योकि भू प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो एवं अधिकारियो द्वारा भूमि के मौका निरीक्षण किये बिना ही भूमि के सम्बन्ध मे त्रुटी पूर्ण इन्द्राज कर दिया है। जिसके कारण प्रार्थी को काफी परेशानियो का सामना करना पडरहा है। इस कारण उक्त त्रुटी दुरुस्त किये जाने योग्य है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जमाबन्दी ग्राम जुल्मी व राजस्व नक्शा को उपरोक्त परिस्थितियो मे प्रार्थी के लिये दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह कि उक्त सम्बन्ध मे मौका रिपोर्ट पटवारी दिनांक-6.04.2018 मे पटवारी द्वारा मौके पर कब्जा देखा गया,जिसमे भूमि पडत है तथा वर्तमान मे कोई कुआँ स्थित नहीं है उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है तथा वर्तमान मे तहसीलदसार साहब,रामगंजमण्डी द्वारा विवादित स्थल का मौका देखकर मौके की मौका रिपोर्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार भी उक्त भूमि बारानी प्रथम असिंचित भूमि है तथा मौके पर कोई चाह स्थित नहीं है।

यह कि प्रार्थी अपने कथनो के समर्थन मे आर0आर0टी0 2009 पेज 954-955, आर0आर0टी0 2013(1) पेज 226-227 तथा ए.आई.आर. 1989 एस.सी. 1582 व आर.बी.जे. (10)2003 पेज 188 रूपनारायण -बनाम- कजोड़मल, पेश कर रहा है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र मे वांछित इन्द्राज दुरुस्ती कर प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी वाके माल ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी मे खाता संख्या 1026 नया, 78 पुराना, खसरा नम्बर 3315, 3316 की रकबा 1.0500 हैक्टर स्थित से सम्बन्धित राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे मौके की स्थिति के अनुसार दुरुस्त कर बारानी प्रथम दर्ज किये जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

सत्य - प्रताप

उप खण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी



दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/वादी का कथन है कि सेटलमेंट से पूर्व प्रार्थी की भूमि बारानी प्रथम दर्ज है। सेटलमेंट विभाग द्वारा गलती से प्रार्थी की भूमि में चाह दिखाते हुये प्रार्थी की भूमि को चाही अंकित कर दिया है जो त्रुटिपूर्ण है। सेटलमेंट से पूर्व उक्त भूमि बारानी दर्ज है। सेटलमेंट के रिकार्ड में चाही दर्ज कर दिया गया है। सेटलमेंट विभाग द्वारा प्रार्थी/वादी की भूमि में कुआ दर्शा दिया है जबकि मौके पर कोई कुआ मौजूद ही नहीं है। तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि मौके पर कोई कुआ नहीं है। भूमि पड़त पड़ी हुई है।

अतः प्रार्थनापत्र/वादपत्र में अंकित भूमि को पुनः बारानी प्रथम दर्ज किया जावे। चाह नाम की कोई जगह वादी की भूमि में नहीं होने से उक्त चाह का अंकन भी हटाया जावे। तथा रिकार्ड को सेटलमेंट से पूर्ववत दर्ज किया जावे।

पैरोकार सरकार का कथन है कि सेटलमेंट से पूर्व प्रकरण वर्णित भूमि पर कोई चाह दर्ज नहीं था। भूमि की किस्म बारानी प्रथम दर्ज थी। सेटलमेंट ने इनकी भूमि पर चाह अंकित कर भूमि की किस्म चाही दर्ज कर दी है। मौके पर चाह/कुआ नहीं है।

बाद बइस हमने पत्रावनी का आघोपान्त गहन मनन अवलोकन किया। वादी/प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र/वादपत्र में अंकित तथ्य, जवाब सरकार, मौका कमिश्नर रिपोर्ट, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात पर सम्यक विचार किया गया।

हस्व प्रदर्श-1 वादगत भूमि खसरा नम्बर 3315 रकबा 0.01 हैक्टर, व 3316 रकबा 1.04 हैक्टर वादी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 3315 चाह अंकित किया हुआ है तथा खसरा नम्बर 3316 में भूमि की किस्म चाही तृतीय अंकित की हुई है। हस्व प्रदर्श-2 वादगत उक्त भूमि पड़त अंकित है। प्रदर्श-3 मुख्तारनामा आम है जो श्रीमती खुशनुमा पत्नी नियाज अहमद, सीमा राजावत पत्नी नवरतन राजावत, वीरेन्द्र कुमार पुत्र अभय कुमार जैन, तथा धीरज शर्मा पुत्र रामचन्द्र शर्मा द्वारा वादी को पक्ष में दिनांक 11.12.2013 को मूर्त किया गया है। हस्व प्रदर्श-4 ए वादगत भूमि हाल खसरा नम्बर 3315 व 3316 साबिक आराजी नम्बर 2560 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा से पैमूद की गई है। हस्व प्रदर्श-4 साबिक खसरा नम्बर 2560 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा देवा पुत्र मगना कौम गूजर

MN 8/2019

तथ्य - वातावरण

एच एच अधिकारी  
रामगंजमण्डी



Page 7

साकिन जुल्मी के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रदर्श-4 के राजस्व अभिलेख के कॉलम नम्बर 7 में भूमि की किस्म " बाराणी तृतीय " अंकित है।

एक नजर में पक्षकार की भूमि के बन्दोबस्त से पूर्व व बाद बन्दोबस्त निम्न प्रकार की प्रस्थिति प्रकट हो रही है।

बंदोबस्त से पूर्व की स्थिति			बाद बंदोबस्त स्थिति			परिवर्तन
ख0 न0	रकबा	किस्म	ख0 न0	रकबा	किस्म	
2560	6 बीघा	बाराणी तृतीय	3315	0.01 है0	चाह	भूमि का किस्म परिवर्तन कर दिया है।
	10 बिस्वा		3316	1.04 है0	चाही तृतीय	

तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मौका निरीक्षण के उपरान्त जो मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसके अनुसार भूमि मौके पर पड़त है तथा उक्त भूमि में कोई कुआ मौजूद नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि उक्त भूमि में मोके पर कुआ नहीं होते हुये बन्दोबस्त विभाग द्वारा त्रुटिपूर्ण तरीके से अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर भूमि की किस्म परिवर्तित कर दी तथा मोके पर कुआ नहीं होते हुये भूमि में कुआ अंकित कर दिया।

महकमा बन्दोबस्त द्वारा मोके से इतर जाकर राजस्व रिकार्ड में जो अंकन किया है वह उचित प्रतीत नहीं होता है। सेटलमेंट के दौरान उक्त खाते की भूमि का रिकार्ड त्रुटिपूर्ण पैमूद किये जाने से यह समस्या उत्पन्न हुई है। रिकार्ड में मोके से विपरीत जाकर जो त्रुटिपूर्ण अभिलेख तैयारी का कार्य किया गया है वह अनुचित प्रतीत होता है। उक्त प्रकार के सम्बन्ध में ए0आई0आर0 1989 एस0सी0 1582 में उल्लेखित है कि,

The Statution Authority can not Travel beyond the Power conferred & any action without power has no legal validity . it is ab initio void & can not be ratified .

आर0बी0जे0(10) 2003 पेज 188 रूपनारायण बनाम कजोड़मल में माननीय न्यायालय ने निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया हैं

Settlement Authorities have no power to delete the Original Entries and make new Entries-in the case during the the settlement Operation , Assistant settlement Officer Deleted the name of the applicant Who is recorded Khatedar of the disputed land and made entries in

MN 8/2019

Page 8

सत्य - प्रतिलिपि

रामगंजमण्डी अधिकारी


the name of non Applicants, whereas settlement authorities have no right to delete the Original Entry and make New entries without any Order of the competent Court . Revision Accepted .

RRt 2013 {1} पृष्ठ 332 हरिनारायण बनाम भागीरथ में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया कि " भू0प्रबंध विभाग द्वारा भू0प्रबंध के दौरान राजस्व रिकार्ड में किया गया परिवर्तन क्षेत्राधिकार विहीन होने से प्रभावशून्य है " ।

माननीय न्यायालयों के निर्णयों की रोशनी में हम प्रस्तुत प्रकरण को देखते है तो पाते है कि वादी/प्रार्थी के खाते में दौराने भू0प्रबन्ध , महकमा बन्दोबस्त द्वारा त्रुटिपूर्ण अंकन किया जाकर भूमि में चाह अंकित नहीं होते हुये भी चाह अंकित कर दिया तथा भूमि स्पष्ट रूप से " बारानी प्रथम " अंकित है जिसे भी चाही तृतीय अंकित कर दिया है। मोके पर जब चाह ही मौजूद नहीं है तो भूमि चाही किसा प्रकार अंकित कर दी । महकमा बन्दोबस्त द्वारा मौके से इतर जाकर त्रुटिपूर्ण रिकार्ड तैयार किया है, जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया उक्त कृत्य उचित नहीं ठहराया जा सकता।

भू0प्रबन्ध विभाग के उक्त कृत्य को हम वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य तथा प्रति0 के जवाब के अनुसार उचित नहीं पाते है। प्रार्थी को उक्त अंकन के परिणामस्वरूप किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन को निरस्त करवा कर दुरुस्ती का अधिकारी पाया जाता है क्योंकि भू0प्रबन्ध विभाग द्वारा किया गया कार्य त्रुटिपूर्ण है और उक्त त्रुटिपूर्ण कार्य के परिणाम जिसके द्वारा वादी की भूमि में चाह/कुवा दर्शाया तथा भूमि की किस्म को बारानी प्रथम के स्थान पर चाही तृतीय त्रुटिपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया है, को हम न्याय की दृष्टि मे भी त्रुटिपूर्ण पाते है।

प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया गया। खसरा गिरदावरी , रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी , रिपोर्ट मोका पटवारी , व पत्रावली का गहन मनन अवलोकन किया।



MN 8/2019


रिपोर्ट - पटवारी

अधिकारी  
रामगंजमण्डी


प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र तदुपरान्त वादपत्र में अंकित तथ्यों, वॉच्छित अनुतोषादि जवाब सरकार, मौका कमिश्नर रिपोर्ट तहसीलदार रामगंजमण्डी तथा पक्षकारान् द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात आदि पर सम्यक विधिसंगत विचारणोपरान्त हम यह पाते हैं कि वाद वादी में वादी के खाते की भूमि की स्थिति बन्दोबस्त से पूर्व स्थिति बहाल किये जाने योग्य है।

अतः दावा वादी गुणावगुण के आधार पर स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं कि, वादी के खातेदारी की भूमि वाके ग्राम जुल्मी तहसील रामगंजमण्डी आराजी खसरा नम्बर 3315, 3316 किता 2 रकबा 1.05 हैक्टर की किस्म सेटलमेंट से पूर्व की स्थिति अनुसार कमशः गैर मुमकिन चाह व चाही तृतीय के स्थान पर बारानी तृतीय दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जावे। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद तामील तकमील निर्णित में गणना की जाकर प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

निर्णय मैरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26/09/2019 को विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

  
(चिमनलाल मीणा)  
उपखण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी



सत्य - प्रतिलिपि

उप खण्ड अधिकारी  
रामगंजमण्डी

